(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर आर.ए.एस.

महिपाल सिंह पुत्र श्री इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी धायलों का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	–बनाम–	परमेश्वरी पत्नी श्री इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी धायलों का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा– दावाः घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. 41...../2023 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
20.04.23	आज यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री **विप्लव पंडित** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षैत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 5/6/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू	
	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली आवश्यक निर्णय के लिये 12/7/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
12/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकन उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने इत्जार तलबी हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। मिसल दिनांक 19.9.23 को पेश हो ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	
19/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकन उपस्थित। वकील वादी/प्रतिवादी ने इत्जार तलबी हेतु पुन अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। मिसल दिनांक 19/10/23 को पेश हो ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	
19/10/23	पत्रावली पेश हुई। वादी व मुलाजिम वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई परन्तु इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वादी पैरवी इसी स्तर पर नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली फैसला मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील अभिलेख दाखिल दफ्तर हो ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2024.02.23 14:34:15 IST
Reason: SelfAttested